

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—91/2016 (2016/00197) वाद पत्र

अनवान

1. विष्णुकुमार आत्मज सत्यनारायण छीपा निवासी ललितकुंज भीम रोड़ आसीन्द, जिला भीलवाड़ा
वादी

बनाम

1. नारू आत्मज छोगा खाती निवासी आसुणा मृतक के बजाय
- 1/1. जगदीश आत्मज नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/2. मनोहर आत्मज नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/3. माधुलाल आत्मज नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/4. मोहन आत्मज नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/5. कैलाश आत्मज नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/6. चांदी बेवा नारू खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लादुलाल आत्मज गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बंशीलाल आत्मज गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. कंकु बेवा गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. कमली पुत्री गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर —
2. रितेश सुराणा —

अधिवक्ता वादी

अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 12.11.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 26.08.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात संख्या 947 रकबा 1.08 है0 भूमि में वादी का 3/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का कब्जे को मध्यनजर रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड में अलग राजस्व खाता खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया था।


तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 12.11.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड

आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 947/1 रकबा 0.33 है० भूमि विष्णुकुमार पिता सत्यनारायण छीपा सा. आसीन्द खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 947/2 रकबा 0.75 है० भूमि कंकु पत्नि गोपीलाल 7/100, कमली पुत्री गोपीलाल 7/100, बंशीलाल पिता गोपीलाल 7/100, लादुलाल पिता गोपीलाल 7/100 कैलाश, जगदीश, मनोहर, माधु, मोहन पिता नारू चान्दी पत्नि नारू 18/25 खाती सा. देह खातेदार के नाम पर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


12.11.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—91/2016 (2016/00197) वाद पत्र

अनवान

1. विष्णुकुमार आत्मज सत्यनारायण छीपा निवासी ललितकुंज भीम रोड़ आसीन्द, जिला भीलवाड़ा
वादी

बनाम

- नारु आत्मज छोगा खाती निवासी आसुणा मृतक के बजाय
- 1/1. जगदीश आत्मज नारु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/2. मनोहर आत्मज नारु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/3. माधुलाल आत्मज नारु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/4. मोहन आत्मज नारु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/5. कैलाश आत्मज नारु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/6. चांदी बेवा नारु खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- लादुलाल आत्मज गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- वंशीलाल आत्मज गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- कंकु बेवा गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- कमली पुत्री गोपीलाल खाती निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरु हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 947/1 रकबा 0.33 है0 भूमि विष्णुकुमार पिता सत्यनारायण छीपर सा. आसीन्द खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 947/2 रकबा 0.75 है0 भूमि कंकु पत्नि गोपीलाल 7/100, कमली पुत्री गोपीलाल 7/100, वंशीलाल पिता गोपीलाल 7/100, लादुलाल पिता गोपीलाल 7/100 कैलाश, जगदीश, मनोहर, माधु, मोहन पिता नारु चान्दी पत्नि नारु 18/25 खाती सा. देह खातेदार के नाम पर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 12.11.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा